<u>**प्रेस नोट**</u>

सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर प्लास्टिक एवं थर्मोकोल से बने सामग्रियों के प्रयोग पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

समाहर्ता दीव ने दिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश

<u>**दीव**</u> **:- 04/07/2019 -** ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शादी समारोह, समूह-लग्न एवं अन्य अवसरों पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक/थर्मोकोल प्लेटें, कोल्ड ड्रींक की बोतलें, गिलास, पॉलिथीन की थैली, बीयर टिन, शराब की बोतल, खाद्य पदार्थ आदि कई सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर प्राय: विखरे पड़े रहते हैं और इस प्रकार लोगों की लापरवाही से पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा वस्तुओं /सामग्रियों के कारण इन स्थलों पर मच्छर/ मक्खियॉ पैदा हो जाती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में डेंगू, मलेरिया हैजा और अन्य घातक बिमारियॉ फैलती हैं ।

उपर्युक्त सामग्रियॉ सुनसान या अलग-थलग पड़े जगहों पर फेंक दी जाती हैं, जिन्हें भोजन की तलाश में भटकने वाले आवारा कुत्तों एवं पशुओं द्वारा सड़कों पर या रास्तों पर फैला दिया जाता है । समूह-लग्न एवं शादी समारोह में बचे खाद्य पदार्थों के साथ-साथ प्लास्टिक/थर्मोकोल प्लेट, बोतल, गिलास एवं पॉलीथीन थैली खुली जगहों पर फेंक दिए जाते हैं, जबकि इन सामग्रियों का ठीक से निपटान किया जाना आवश्यक है ।

समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव ने निदेश दिया है कि मुख्य अधिकारी (दीव नगरपालिका परिषद), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला पंचायत), सरपंच/सचिव, वणांकबारा/साउदवाड़ी/बुचरवाड़ा/जोलावाड़ी, जब भी इस प्रकार के समूह-लग्न, शादी या कोई अन्य समारोह का आयोजन होता है, तो ऐसे अवसरों पर प्लास्टिक/थर्मोकोल से बने प्लेटों, कटोरों, प्यालों/गिलासों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आयोजकों पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

सभी स्थानीय निकायों को निदेश दिया गया है कि इस आदेश का सख्ती से अनुपालन करेंगे ।